न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

प्र0सं0 46/22 दायरा दिनांक 06.08.2020

1. सविन्नी पत्नि चिरोंजीलाल उम्र 55 वर्ष जाति किराड निवासी खटका तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
2. हरभजन पुत्र नन्दलाल उम्र 75 वर्ष जाति किराड निवासी खटका तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
3. मेंहदा पुत्री नन्दलाल पत्नि स्व.गुलाबचन्द उम्र 70 वर्ष जाति किराड निवासी खटका हाल निवासी समरानिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
4. रामकिशन पुत्र बद्री उम्र 58 वर्ष जाति किराड निवासी खटका तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
5. मुन्नी पत्नि स्व.प्रकाश उम्र 52 वर्ष जाति किराड निवासी खटका तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
6. बादामीबाई पत्नि रामकिशन उम्र 55 वर्ष जाति किराड निवासी खटका तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1. उप वन संरक्षक बारां जिला बारां राज0
2. क्षेत्रिय वन अधिकारी शाहावाद तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
3. स्हायक वनपाल नाका प्रभारी मुण्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राज0

–अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955

निर्णय–दिनांक 27.03.2025

उपस्थित– प्रार्थीगण की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
अप्रार्थीगण की ओर से – श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट

प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कमलावदा पटवार हल्का खटका तहसील शाहावाद में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 10/103 रकबा 18.05 बीघा किस्म बा.तृ. स्थित है, जिसे विवादित आराजी कहा गया है। उक्त विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी कम 1 के नाम हिस्सा 1/4 प्रार्थी कम 2 के नाम हिस्सा 1/4 प्रार्थी कम 3 के नाम हिस्सा 1/8 प्रार्थी कम 4 के नाम हिस्सा 1/8 प्रार्थी कम 5 का हिस्सा 1/8 तथा प्रार्थी कम 6 का हिस्सा 1/8 दर्ज है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण की पुश्तेनी होकर खाते व कब्जे काश्त की है जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से निरंतर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं जिसमें दखलन्दाजी करने का किसी अन्य को कोई हक अथवा अधिकार नहीं है। वर्ष 2014 में अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की विवादित आराजी को वन भूमि बतलाकर दखलन्दाजी का प्रयास किया तब प्रार्थीगण ने विधिवत आवेदन कर सीमाज्ञान करा लिया। दिनांक 12.07.2020 को प्रार्थीगण सदैव की भांति विवादित आराजी को अपने निजी ट्रेक्टर मैसी फगर्युसन 72[illegible] से हांक रहे थे कि अप्रार्थी कम 3 ने मौके पर पहुंचकर बिना किसी आधार [illegible] प्रार्थीगण के उक्त ट्रेक्टर को जब्त का लिया और समस्त तथ्यों के [illegible] पर प्रार्थी कम 4 व प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:07 IST
Reason: SelfAttested

27.03.25
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बाराँ (राज.)

CamScanner

क्रम 5 के पुत्र अरविंद के खिलाफ प्रकरण एफ आई आर संख्या 96/39 दिनांक 13.07.2020 को दर्ज कर लिया तथा प्रार्थीगण के उक्त ट्रेक्टर को राजसात करने की धमकी दी। बडी मुश्किल से प्रार्थीगण के हाथाजोडी करने पर ट्रेक्टर को छोडा और प्रार्थीगण से 25000 रूपये बतौर मुआवजा दिनांक 23.07.2020 को रसीद संख्या 592 के जर्ये जमा करा लिये तथा प्रार्थीगण को धमकी दी कि यदि प्रार्थीगण ने उक्त विवादित आराजी को हांकने फसल बोने अथवा काश्त करने का प्रयास किया तो वे प्रार्थीगण को जेल भिजवा देंगे तथा ट्रेक्टर को खडा खडा सडा देंगे। अप्रार्थीगण की उक्त धमकी व कृत्य से प्रार्थीगण के पुश्तेनी खाते व कब्जे काश्त की आराजी को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है तथा काश्त नहीं करने देने से प्रार्थीगण परिवार के भूखो मरने की नौबत आ गई है। अतः ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 10/103 रकबा 18.05 बीघा ग्राम कमलावदा पटवार हल्का खटका तहसील शाहावाद बावत प्रार्थीगण के स्वतंत्र कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें, न अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र की सभी मदों को अस्वीकार करते हुये विशेष आपत्ति दर्ज कराई कि विवादित आराजी से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है वास्तविकता यह है कि वनखण्ड मुण्डियर ए के ग्राम कमलावदा में अप्रार्थीगण के खाते की वनभूमि ख0नं0 12/136 रकबा 75.00 बीघा सिथत है जिसे दिदनांकक 13.07.20 को प्रार्थी क्रम 4 के ट्रेक्टर से प्रार्थी क्रम 5 का पुत्र अरविन्द हांकता हुआ पाया गया जिसके विरूद्व वन अपराध में एफआईआर दर्ज की गई है और उक्त प्रकरण को प्रार्थी क्रम 4 व 5 के पुत्र ने जुर्माना राशि 25000 रूपये जमा कर कम्पाउन्ड करा लिया है। इस तरह प्रार्थीगण ने विवादित आराजी कका विवाद बताते हुये गलत तथ्यों पर प्रार्थनापत्र पेश किया है जिसका कोई वाद कारण नहीं होने से वाद चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है न ही धारा 79 सीपीसी की पालना की गई है, इस कारण वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी नामंजूर किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष की सहमति से राजस्व तथा वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विवादित भूमि की पेमाइश रिपोर्ट मंगाई जाकर वहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण का कथन है कि उनके खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख0नं0 10/103 रकबा 18.05 बीघा ग्राम कमलावदा तहसील शाहावाद को वनभूमि बताकर अप्रार्थीगण ने काश्त में व्यवधान किया और आपराधिक प्रकरण दर्ज कर प्रार्थीगण के ट्रेक्टर को जब्त कर लिया जिसे 25000 रूपये की रसीद काट कर छोडा गया तथा विवादित आराजी को हांकने, फसल बोने अथवा काश्त करने पर प्रार्थीगण को जेल भिजवाने की एवं ट्रेक्टर को खडा खडा सडा देने की धमकी दी है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण अपने खाते की बतलाकर वनभूमि ख0नं0 12/136 को हांक रहे थे। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी अनुसार [illegible] रकबा 18.05 बीघा ग्राम कमलावदा प्रार्थीगण के रिकार्डेड [illegible] है, जो राजस्व रिकार्ड नक्शे में दर्ज हैं, नकल [illegible] बित है। संलग्न रसीद संख्या 592 तथा पत्र क्रमांक [illegible]37 दिनांक 20.07.2020 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही किये जाने की भी पुष्टि होती है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी की दिनांक 02.07.2014 को सीमाज्ञान कराया गया है तथा उभयपक्ष की सहमति से दिनांक 23.12.2020 को प्रार्थीगण तथा वन विभाग की मौजूदगी में पुनः विवादित भूमि का सीमाज्ञान कर निशानदेही करवा दी गई है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे प्रार्थीगण द्वारा वनभूमि ख0नं0 12/136 पर काश्त करना प्रमाणित होता हो। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 10/103 रकबा 18.05 बीघा ग्राम कमलावदा तहसील शाहावाद बावत प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

27/3/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:07 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner